राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....830/2015..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स हजारी लाल जौहरी लाल, 364, रामगंज बाजार, जयपुर

बनाम

(1) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर

(2) उपायुक्त (अपील्स)–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/09/2015	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या अ.प्रा.–II/स्थगन/अ.सं. 35/15–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 22.05.2015 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपीलार्थी के वर्ष 2014–15 के लिये वेट अधिनियम की धारा 25(1), 55, 61 व 75(8) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 12.03.2015 से सृजित/वसूलनीय मांग राशि रूपये 17,92,752/– की वसूली पर रोक लगाने सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रूपये 2,00,000/– की वसूली पर स्थगन स्वीकार करते हुए शेष राशि पर स्थगन से इंकार किया है। अतः अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 13,12,752/– की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री रमेशचन्द गुप्ता एवं विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री एन. के. बैद की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अपीलार्थी के सर्वेक्षण में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी थी, सभी तथ्यों का स्पष्टीकरण कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। इसके बावजूद अपीलार्थी के विरूद्ध भारी मांग कायम की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आंशिक राशि का स्थगन स्वीकार करते हुए, शेष राशि वसूलनीय अवधारित किये जाने में त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण में बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने पर बल दिया। **लगातार.....2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....830/2015..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स हजारी लाल जौहरी लाल, 364, रामगंज बाजार, जयपुर

बनाम

(1) सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर
(2) उपायुक्त (अपील्स)–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/09/2015	प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त सर्वे मौके पर लेखा–पुस्तकों से अधिक माल पाया गया। फर्द रिपोर्ट में भी अपीलार्थी द्वारा कांटछांट की गई, जिसकी गलती अपीलार्थी ने स्वीकार भी की है। मौके पर पाये गये अधिक माल के अनुसार ही तथा इसका इंद्राज लेखा–पुस्तकों में नहीं होने के आधार पर ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग कायम की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को अनेक अवसर दिये गये, किन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रत्येक पेशी पर समय चाहा गया तथा हरसम्भव तरीके से प्रकरण में टालमटोल का रवैया अपनाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के असहयोगात्मक रवैये को दृष्टिगत रखते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण में आंशिक राशि का स्थगन प्रदान कर अपीलार्थी को पर्याप्त राहत प्रदान कर दी गयी है। शेष राशि के स्थगन के सम्बन्ध में प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं होना बताते हुए अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड यथा अपील आधार, अपीलीय आदेश व कर निर्धारण आदेश का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, किन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में सहयोगात्मक एवं सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया गया। इसके विपरीत अपीलार्थी द्वारा फर्द रिपोर्ट में कांटछांट करना भी स्वीकार किया गया है। अपील आधारों में यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.05.2014 को मैसर्स दशमेश ट्यूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्रा0 लिमिटेड, जो कि एक अपंजीकृत आकस्मिक डीलर है, से रूपये 7,15,000/– का माल क्रय किया गया है। उक्त समस्त तथ्यों एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात, प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार की जाती है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 09.09.2015 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** 9.9.2015 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	